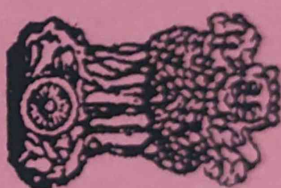


MB-15

निरीक्षण प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

प्रखंड कार्यालय : कलुआही

निरीक्षण की तिथि : 30-04-2003

डा० बी० राजेन्द्र

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा 10 बी 10 राजेन्द्र, भा 0 प्रो 0, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 30-04-2003 को प्रेषित कायलिय, कलुआही का फये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण रिपोर्ट।
=====

§ 1 § परिचय :-

कलुआही प्रखंड की स्थापना ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 12278 दिनांक 27-11-1999 के द्वारा की गयी है। कलुआही प्रखंड मधुबनी जिला का 21 वें प्रखंड के रूप में दिनांक 14-8-2001 को सृजित हुआ। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस प्रखंड की कुल आबादी 96,709 है एवं इसका क्षेत्रफल 21,142.54 एकड़ है। जिला मुख्यालय से 17 कि०मी० उत्तर-पश्चिम में यह प्रखंड अवस्थित है। प्रखंड का चौदहवीं निम्नप्रकार से है :- 1- उत्तर में जयनगर प्रखंड § 2 § दक्षिण में रहिका प्रखंड § 3 § पूरब में खौली प्रखंड एवं § 4 § पश्चिम में बेनीपट्टी प्रखंड है। यह प्रखंड सदर अनुमंडल, मधुबनी के परिधि में आता है।

§ 2 § भवन :-

प्रखंड भवन सिवार्ड विभाग के पश्चिमी कोर नि नहर के मुख्यालय, जो रहिका के अन्तर्गत पड़ता है, उसी के अन्तर्गत इसी परिसर में स्थित है। सरकार के अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक -31/भूमि-40-015/2001-2438 दिनांक 29-9-2001 के द्वारा नवसृजित कलुआही प्रखंड के कार्यालय को खौली प्रखंडान्तर्गत हरिपुर दक्षिणी मौजा में अवस्थित पश्चिमी कोर नि परियोजना के "डी" टाइप क्वार्टर में स्थायी तौर पर खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रखंड परिसर में ही कलुआही धाना भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त प्रखंड परिसर में एक बड़ा सा गोदाम है। इसके अतिरिक्त प्रखंड परिसर में ही स्वर्णि जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना के तहत प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र भवन का निष्पत्ति करवाया गया है, जिसमें बैठक/प्रशिक्षण आदि होता है। इस प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम-डोकहर में अवस्थित माँ भवती राल-रजिबरी का भव्य मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।

§ 3 § प्रभार :-

श्रीमती कंचन तिवारी, बि० प्रो०, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका दिनांक 12-11-2001 से प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही के रूप में कार्यरत है। इनसे पूर्व श्री रजनीकान्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डौल दिनांक 14-8-2001 से 11-11-2001 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही के अतिरिक्त प्रभार में थे। श्री देवनारायण पासवान, प्रधान सहायक के प्रभार में दिनांक 18-10-2002 से कार्यरत हैं। इनसे पूर्व श्री नारायणनन्द झा, सहायक, प्रभारी प्रधान सहायक के रूप में कार्यरत
लगातार...2/-

२. जिनका स्थानान्तरण जिला नीलाम-पत्र प्रमाणित, मधुबनी स्मार्टरहालय में हो गया है। श्री अमरेन्द्र नारायण ठाकुर, सहायक दिनांक 23-11-2001 से प्रखंड नाजौर के प्रभार में है। इनसे पूर्व श्री नारायणचन्द्र झा, सहायक नाजौर के प्रभार में थे।

५- स्थापना :-

२ २

सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2756/ग्रा0वि0, दिनांक 29-3-2001 के आलोक में कलुआही प्रखंड कार्यालय के संभालन हेतु पदों का अस्थायी रूप से निम्नरूपेण छनन की रवीकृति प्रदान की गयी है:-

1- प्रखंड विकास पदाधिलारी	-	1
2- प्रधान सहायक	-	1
3- लिपिक सह टंक	-	3
4- आदेशपाल	-	2
5- चौकीदार सह रात्रि पहरा	-	1
कुल :-	-	8

रवीकृत वल के विरुद्ध इस प्रखंड में निम्नांकित सहायक पदस्थापित हैं :-

श्री सीताराम ठाकुर, नवनियुक्त सहायक दिनांक 22-8-2001 से इस प्रखंड में पदस्थापित हैं। श्री रंजित लाल दास, सहायक, जिनका पदस्थापन स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी के ज्ञापक 1054/स्था0, दिनांक 12-9-2001 द्वारा इस प्रखंड में किया गया था, जिला जन शिकायत कोषांग, मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं। सहायकों की कमी के कारण श्री वहीदुर रहमान, नव नियुक्त सहायक, खौली प्रखंड से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। इस प्रखंड में दो जनसेवक एवं सात पंचायत सेवक पदस्थापित हैं।

5- प्राप्ति एवं निर्गत पत्रों की पंजी :-

इस प्रखंड में प्राप्ति एवं निर्गत पत्रों की पंजी विधिवत् दिनांक 14-8-2001 से संभारित है। विगत तीस वनों में प्राप्ति एवं निर्गत पत्रों की स्थिति अलग-अलग निम्नवत् है :-

क्रमिक	वर्ष	साधारण	मुख्य
1-	14-8-2001 से दिसम्बर 01 तक	278	12
2-	01-01-2002 से दिसम्बर, 02 तक	1178	02
3-	01-01-2003 से 30-4-03 तक	229	14

लगातार... 3/-

निर्गत पत्रों की स्थिति

1- 14-08-2002 से दिसम्बर, 02 तक	234	05
2- 01-01-2002 से दिसम्बर, 02 तक	1029	43
3- 01-01-2003 से 30-4-2003 तक	224	14
कुल :-	1487	62

6-पूर्व निरीक्षण :-

जैक इस प्रश्न का सुन 2001 में ही हुआ है, परन्तु अभी तक किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है।

7- अनुक्रमणी पंजी :-

बिहार अभिलेख दफ्तक के नियम-12 के अनुसार अनुक्रमणी पंजी विहित प्रपत्र में वर्णमाला क्रमानुसार संघारित है। कुल कितने विषयों पर कितनी संघिकारें होनी गई हैं, प्रश्न विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं बताया जा सका। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8- सेवापुस्त :-

सेवापुस्तिका अनुसूची 53 धार्म 80 स.जी.बी. धार्म सं0- 239 प्रपत्र में संघारित है एवं प्रश्न विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है। सेवापुस्तिका के अन्तर्गत से रफूट होता है कि इसका सत्यापन सही ढंग से नहीं किया गया है। प्रश्न विकास पदाधिकारी को निर्देशा दिया जाता है कि सेवापुस्तिका के सत्यापन के समय निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है जहाँ से कर देखें कि सेवा में टूट तो नहीं है §2§ अर्जित अवकाश का लेखा अलग किया गया है अथवा नहीं §3§ सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी तो नहीं की गई है §4§ जन्म तिथि सही ढंग से अंकित किया गया है अथवा नहीं §5§ नियुक्ति पत्र की पुनः जाँच कर ली जाय §6§ संबंधित कर्मचारी को दिये गये पुरस्कार की प्रविष्टि "हरा" डंक में एवं दण्ड की प्रविष्टि "लाल" डंक में

:: 4 ::

की गई है अथवा नहीं, पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय । साथ ही स्थानान्तरण के पश्चात् जिन कर्मचारियों का सेवापुस्त संबंधित कार्यालय को नहीं भेजा गया है, अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करें ।

§ 98 प्रभार पंजी :-

इस कार्यालय में किसी भी सहायक द्वारा प्रभार पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है । प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी सहायकों के जिम्मे जितनी संविधा, पंजियाँ, उपत्कर आदि है के लिए सहायकवार प्रभार पंजी संधारण कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि संबंधित सहायक के स्थानान्तरण हो जाने पर प्रभार के आदान-प्रदान में अनावश्यक विलम्ब न हो ।

§ 100 रक्षी संविधा :-

रक्षी संविधा का अवलोकन किया । अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका संधारण हाल ही में किया गया है । रक्षी संविधा में इन्डेक्सिंग नहीं किया गया है । प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

§ 111 आकस्मिक अवकाश पंजी :-

इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रुं विकास पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से इसकी जाँच नहीं की जाती है । प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का समय-समय पर अवश्य जाँच किया जाय ताकि यह पता चल सके कौन से कर्मचारी अनुपस्थित हैं ।

§ 128 प्रधान सहायक नोट बुक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक संधारित करना है जिसमें प्रतिदिन प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों/घटनाओं की इन्ड्रज कर समय-सिमा के अन्दर निरुपादन की कार्यवाही की जानी है । प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि तदनुसार प्रधान सहायक नोटबुक संधारित करना सुनिश्चित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार: ... 5/-

॥ 3॥ बंजियों की बंजी :-

बंजियों की बंजी संघारित है ।

॥ 4॥ संचिका संचालन बंजी :-

जिला मुख्यालय से दिये गये निर्देश के आलोक में इस प्रखंड में संचिका संचालन बंजी का संघारण किया गया है ।

॥ 5॥ निरीक्षण बंजी :-

निरीक्षण बंजी ॥ बंजी-26॥ इस कायलिय में संघारित नहीं है । यह एक महत्त्वपूर्ण बंजी है । इस बंजी में कायलिय निरीक्षण से संबंधित तिथि अंकित की जाती है । अर्थात् किस निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा कब-कब इस कार्यालय का निरीक्षण किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे ।

॥ 6॥ आकस्मिक अवकाश बंजी :-

इस कायलिय में आकस्मिक अवकाश बंजी विधिवत् संघारित किया गया है एवं अवकाश का लेखा बंजी में अंकित किया गया है ।

॥ 7॥ कर्म-पुस्तिका :-

इस प्रखंड में कार्यरत सभी सहायकों द्वारा कर्मपुस्तक का संघारण किया गया है, परन्तु सही ढंग से संघारित नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी सहायकों के लिये विहित प्रपत्र में कर्मपुस्तिका का संघारण करना सुनिश्चित किया जाय । कर्मपुस्तिका में लंबित धन्यों को लाल रप्ताही से अज्ञात कर अगले पृष्ठ पर लाया जाय ।

॥ 8॥ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

प्रतिवेदन एवं विवरणी तालिका एक महत्त्वपूर्ण तालिका है । इससे यह पता चल जाता है कि कौन सा प्रतिवेदन किस तिथि को कहा भेजा जाना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसे दो प्रतियों में तैयार कर धा

जाय । एक प्रति प्रधान सहायक के पास एवं एक प्रति प्रमुख विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में रखा जाय तार्किक मता चल सके कि कौन सा प्रतिवेदन कब भेजा जाना है ।

§ 19§ लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी :-

बताया गया कि लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों से संबंधित पंजी संघारित है । परन्तु कितने प्रश्नों का उत्तर भेज दिया गया है एवं कितने प्रश्न लंबित हैं, की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गयी । प्रमुख विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोक सभा/विधान सभा प्रश्नों का उत्तर सामग्री प्राथमिकता के आधार जिला कार्यालय को भेजे ।

§ 20§ माननीय उच्च न्यायालय/निम्न न्यायालय वाद पंजी :-

माननीय उच्च न्यायालय/निम्न न्यायालय वाद पंजी इस प्रमुख में संघारित नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि कुल कितने वाद लंबित हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है । प्रमुख विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर पंजी संघारित करके अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ।

§ 21§ आवंटन पंजी :-

आवंटन पंजी संघारित है एवं जिसमें सभी गतिर्धी में प्राप्त आवंटन एवं निकासी की अद्यतन प्रतिबिंबित अलग-अलग संघारित की जा रही है ।

§ 22§ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

निराश्रित हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस योजना के तहत 280 लक्ष है जिसके विरुद्ध विभिन्न बैंकों में 466 आवेदन-पत्र भेजे गये हैं तथा बैंकों के द्वारा 196 लाभान्वितों के आवेदन-पत्र स्वीकृत कर रु. 48,78,500=00 रुपये की सम्पत्ति विवरित की गई है ।

स्वयं सहायता समूह के तहत इस वित्तीय वर्ष में 90 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से 15 समूहों का प्रारम्भिक निधि प्राप्त है एवं उनमें से 12 समूहों का प्रारम्भिक निधि विभिन्न बैंकों में कार्ड्स भेजे हैं । स्थिति संतोषप्रद नहीं है । प्रमुख विकास

पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मासिक बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में अपने प्रखंड में कम से कम 500 स्वयं सहायता समूह का गठन अवश्य करें एवं प्राथमिकता के आधार अनुसूचित जाति के परिवारों का श्रृण आबेदन-पत्र बैंकों में भेजे जायें क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए ही कर्णांकित है। इसी प्रकार कुल लक्ष्य का 40 प्रतिशत महिलाओं के लिए कर्णांकित है। इस दिशा में अभी तक की उपलब्धि बहुत ही असंतोषप्रद है।

§23§ इन्दिदा आवास योजना §80§:-

इस प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इन्दिदा आवास योजना 80 प्रतिशत के अन्तर्गत 400 लक्ष्य के विस्तृत मात्रा 187 पूर्ण किया गया है एवं 213 योजना अभी भी लंबित है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 213 योजनाओं में कार्य किस स्तर तक हुआ है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्थिति के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो खेद की बात है।

§24§ इन्दिदा आवास योजना §20§:-

इस प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में इन्दिदा आवास योजना §20§ के अन्तर्गत 139 के विस्तृत मात्रा 98 योजनाएं पूर्ण हो पाई हैं एवं 41 योजनाएं अभी चल रही हैं। विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि 41 योजनाओं में कार्य किस स्तर पर चल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

§25§ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §80§:-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §80§ में कुल 44 योजनाओं के विस्तृत 31 योजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं मात्र 13 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

§26§ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20§:-

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20§ के विस्तृत 15 योजनाओं में 13 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष दो योजनाओं में कार्य चल रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित योजनाओं में कार्य गति पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

लगातार...४/-

§27§ सुनिश्चित/सम्पूर्ण ज़ामिना रोजगार योजना :-

इस योजना-तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 के तहत 12 योजनाएं चल रही हैं जिसमें से 7 योजना पूर्ण हो चुकी है एवं 3 योजनाएं निकट भविष्य में पूर्ण हो जाने की संभावना है, बताया गया। प्रकृत विकास पदाधिकारी ने बताया कि कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत अभिलेख संख्या 6/2002-2003-भारत कोठी चौक में सामुदायिक भवन निर्माण का अवलोकन किया। इस योजना की प्रकृतित राशि 1, 77, 800/- रुपये है जिसमें नगद 1, 53, 220/- रुपये एवं चाबल के रूप में 24, 580/- रुपये कुल 1, 77, 800/- रुपये जिला से प्राप्त है। इस योजना के अभिकर्ता का नाम श्री राम लोचन पासवान है। अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अभिकर्ता को अग्रिम के रूप में 1, 27, 500/- रुपये दिया गया परन्तु मापी 1, 43, 910/- रुपये व्यर्षी रही है। समुदाय पर प्रकृत विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। समुदाय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि कनीय अभिवृत्त द्वारा 4 बार योजना में कराये गये कार्य की मापने ली गयी परन्तु सहायक अभिवृत्त द्वारा एक बार भी सत्यापित नहीं किया गया है। इसके लिए प्रकृत के सहायक अभिवृत्त श्री 80के0बर्मा से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि उनके द्वारा एक बार भी इस योजना में मापी क्यों नहीं किया गया है 9 इस योजना के अभिलेख के साथ संलग्न अभिलेख एवं मास्टर रोल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मास्टर रोल कनीय अभिवृत्त एवं पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इसी प्रकार अभिलेख को भी सत्यापित एवं पारित नहीं किया गया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अगला अग्रिम का अगली किरत देते के पूर्व उसके पूर्व के अग्रिम का समायोजन निश्चित रूप से किया जाय एवं अभिलेख में स्पष्ट रूप से उसे अंकित किया जाय। अग्रिम का प्रोग्रेसिव टोटल भारजिन में निश्चित रूप से किया जाय। आदेश अभिलेख के पत्रावरण में अग्रिम की तिथि, राशि मापी की तिथि, समायोजित अग्रिम की राशि निश्चित रूप से दिया जाय।

§28§ विधायक कोष योजना :-

प्रकृत विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत 5 योजनाएं हैं, जो पूर्ण हो गई हैं। इस योजना के तहत मलमल दक्षिण साक्षा गल्ल उद्य विद्यालय में पुस्तकालय भवन निर्माण के अभिलेख संख्या 3/2001-2002 का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी तक अभिलेख में विविध कार्यवाही कर अभिलेख को बन्द नहीं किया गया है। अग्रिम का

समायोजन नहीं किया गया है। अभिलेख पर न तो किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है और न ही पारित ही किया गया है। मस्टर रोल भी पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और न ही पारित ही किया गया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार मस्टर रोल का सत्यापन कराकर उसे पारित करना सुनिश्चित किया जाय। मापी पुरत के अनुसार अभिलेख का समायोजन कर एवं सरकार द्वारा निर्धारित दर से बिक्री कर एवं रीयलिटी का कटौती कर अभिलेख का समायोजन करें एवं अभिलेख बन्द करते हुए प्रमाण-पत्र दें कि अभिलेख सभी तरह से पूर्ण कर लिया गया है। इसे तरह का निर्देश प्रकृत पर पूर्ण किये गये सभी योजनाओं पर लागू माना जाय।

॥29॥ राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

प्रकृत विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत मार्च-2003 तक कुल खाद्यान्न 2566 क्विंटल आवंटन प्राप्त है, जिसके विरुद्ध 1372 क्विंटल खाद्यान्न माह सितम्बर, 2002 तक वितरित किया जा चुका है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अवशेष खाद्यान्न का वितरण अविलम्ब छात्रों के बीच कर दिया जाय।

॥30॥ अन्नपूर्णा योजना :-

निरिक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस योजना के तहत 246 लक्ष के विरुद्ध 516.90 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन इस प्रकृत को प्राप्त है, जिसमें माह-दिसम्बर, 2002 तक वितरित किया जा चुका है।

॥31॥ राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-

इस योजना के तहत 520 पेंशनधारियों के विरुद्ध मो 8, 07, 900/- रुपये आवंटन प्राप्त हुए, जिसे प्रत्येक लाभार्थियों के बीच माह-अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक वितरित किया जा चुका है।

॥32॥ राष्ट्रीय हृदय रक्षण योजना :-

इस योजना के तहत 606 पेंशनधारियों के विरुद्ध मो 8, 22, 612=50 रुपये आवंटन प्राप्त हुए, जिसे प्रत्येक लाभार्थियों के बीच माह-अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक वितरित किया जा चुका है।

॥33॥ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-

प्रकृत विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत 44 मुक्त आश्रितों का आवंटन-पत्र स्वीकृति लगातार.... 10/-

जिला कार्यालय को भेजा गया है, जिसके विरुद्ध 15 मुक्त आश्रितों के आवेदन-पत्र रबीकृति के पत्रचाव प्राप्त हुई है, जिसमें 17 लाभान्वितों को चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया है। प्रुख विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि ग्रीष लाभाभित्तों को बुलाकर उन्हें भी राशिरा का भुगतान दो दिनों के अन्दर कर दिया जाय। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि उनके स्तर पर लंविन मामले को अविलम्ब रबीकृत्योपरान्त प्रुख विकास पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

§34§ छात्रवृत्ति :-

इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सभी स्तर के छात्रवृत्ति मद में मो0 6, 18, 300/-स्मये प्राप्त हुआ। प्रुख विकास पदाधिकारी ने बताया कि वर्ष 1 से 5 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु सभी पंचायत के मुखिया को चेक हस्तगत करा दिया गया है तथा वर्ष 7 से 10 तक के छात्र/छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति बितरण की कार्यवाई चल रही है। प्रुख विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जो मुखिया छात्रवृत्ति का बितरण नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाय एवं उसकी सूचना अधोहस्ताधरी को दी जाय। साथ सभी छात्र/छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति का बितरण नियत समय पर किया जाय।

§35§ प्रोत्साहन भत्ता :-

निररीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्राथमिक विद्यालय में गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले लाल कार्डधारी परिवारों के 1 से 5 तक के नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए प्रोत्साहन भत्ता मद में मो0 1, 96, 000/-स्मये का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से 1, 22, 000/-वितरित किया जा चुका है ग्रीष 74, 200/-स्मया अवशेष है। प्रुख विकास पदाधिकारी ने बताया कि मो0 1, 22, 000/-स्मया सभी संबंधित विद्यालय के प्रधान को अग्रिम रक्कम दिया गया है, परन्तु राशिरा बितरण के पत्रचाव अशुद्ध कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रुख विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये अग्रिम का समायोजन हेतु सभी संबंधित को नोटिस निर्गत करें अशुद्ध प्राप्त होने के पत्रचाव अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अवशेष राशिरा का बितरण भी अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय।

§36§ विधोष अंगीभूत योजना :-

प्रुख विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विधोष अंगीभूत योजनान्तर्गत विधोष

∴ ∥ ∴

केन्द्रीय सहायता राशि हेतु प्राप्त आबेदन-पत्रों को श्रृणु रबीकृति हेतु विविन्न बैंकों को कुल 65 आबेदन पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें से 14 लाभाभिन्नता के आबेदन पत्र पर बैंक द्वारा रबीकृति एवं अनुदान की राशि भेजने की कार्रवाई चल रही है। कुछ विवकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से सम्पर्क स्थापित कर अनुसूचित जाति के वर्कर्स को परिसम्पत्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

₹378 रोकड़ बढ़ी :-

सामान्य रोकड़ बढ़ी टी0सी0 फार्म-6 में विविधवत् संचारित है तथा दिनांक 20-4-2003 तक लिखा है। सामान्य रोकड़ बढ़ी के अनुसार अन्तर्गोष्ठ राशि मो0 82, 43, 898=49 पैसा है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

1- नगद	-	20, 309=89
2- अग्रिम	-	8, 37, 056=50
3- बैंक में	-	73, 36, 209=00
4- अग्रिम	-	50, 323=10
कुल योग	-	82, 43, 898=49

उपर्युक्त राशि का मासिकवार वर्गीकरण निम्नप्रकार किया गया है :-

1- 251588	-	3, 333=00
2- 251588	-	1, 026=85
3- सम्पूर्ण ग्रांटोयोजना	-	5, 92, 314=00
4- सांसद कोष	-	24, 506=00
5- विधायक कोष	-	24, 86, 334=00
6- इन्दिदा आवास8088	-	10, 77, 523= 00
7- इन्दिदा आवास2088	-	1, 56, 560 =00

लगातार... 11/-

8- प्रधानमंत्री शांता योजना 80x8	--	12, 32, 636=00
9- प्रधानमंत्री शांता योजना 20x8	--	3, 10, 918=00
10- बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम	--	18, 963=00
11- प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना	--	25, 835=00
12- पोसादन भत्ता	--	2, 96, 513=00
13- पोषाहार कार्यक्रम योजना	--	28, 311=56
14- बालिका समृद्धि योजना	--	1, 452=00
15- राष्ट्रीय सांख्यिकीय	--	2, 86, 585=00
16- राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना	--	5, 26, 711=60
17- अन्नपूर्णा योजना	--	6, 057=40
18- मातृत्व लाभ योजना	--	235=00
19- आधारभूत संरचना आत्म	--	8, 584=00
20- प्रधानमंत्री पंचजल/सूक योजना	--	91, 478=00
21- कल्याण छात्रवृत्ति	--	1, 25, 329=00
22- विज्ञान अंगीभूत योजना	--	5, 16, 490=00
23- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	--	1, 30, 233=00
24- न्यूनतम	--	7, 328=00
25- स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार योजना	--	1, 70, 966=00
26- प्रगति	--	74, 267=00
	--	82, 00, 489=41

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्तर्गत राशि एवं सहायक रोकूट पंजी में अंकित राशि में काफी

लगातार... 13/-

भिन्नता है। लगभग ५३, ५०९=०८ रुपये का अन्तर है। रोकड़-पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रुं विकास पदाधिकारी/नाजीर को रोकड़ बढ़ी संधारण हेतु पर्याप्त जानकारी नहीं है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में सामान्य रोकड़ बढ़ी की मात्र छायापति उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। मुख्य रोकड़ बढ़ी, सहायक रोकड़ बढ़ी, बैंक रजिस्ट्रार, पासबुक में अंकित राशि में कोई ताल-मेल नहीं है, जिससे सरकारी राशि के गबन की संभावना है इन्कार नहीं किया जा सका। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में सभी कार्यक्रम के लिए अलग-अलग सहायक रोकड़-बढ़ी एवं बैंक खाता नहीं खोला गया है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। रोकड़-बढ़ी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभी भी अधिग्रहण मदों में बहुत बड़ी राशि अवशेष चला आ रहा है, जो चिन्ता का विषय है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §20x§ मद में सहायक रोकड़ बढ़ी के अनुसार मो० ३, १०, ११८/- रुपये है, परन्तु निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त मद में मो० १, १०, ११८/- रुपये दर्शाया गया है, जो प्रुं विकास पदाधिकारी के लापरवाही का द्योतक है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उक्त मद में राशि की भिन्नता क्यों है। सहायक रोकड़ बढ़ी में बैंक खाता नं० का जिन् नहीं किया गया है और न ही बैंक रिकॉन्सिलियेशन ही कराया गया है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में प्रुं नाजीर से स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे। सामान्य रोकड़ बढ़ी में न्युट्रेशन करके खाता खोला गया है, जिसके बारे में पूछे पर प्रुं विकास पदाधिकारी कोई संतोखनक उत्तर नहीं दे सके। संभवतः मध्यान्न भोजन का पैसा है। इस मद में ७, ३२८/- रुपये दर्शाया गया है। प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर यदि राशि खर्च करने योग्य है तो अविलम्ब खर्च करें अन्यथा इसे जिला कार्यालय को वापस कर दिया जाय। सहायक रोकड़ बढ़ी में वर्णित राशि का मदवार विवरण तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि किस बैंक में किस मद का पैसा रखा गया है एवं उतका सत्यापन कब कराया गया है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें एवं प्रुं नाजीर से भी स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य से अवगत करावें। प्रुं विकास पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जिस शीर्ष में बहुत बड़ी राशि अवशेष है, उसकी छानबीन कर राशि शीर्ष विवरण कर अवशेष राशि, जो खर्च योग्य नहीं है, जिला कार्यालय को वापस लौटा दें। किसी भी शीर्ष में अनावश्यक रूप से अधिक राशि अवशेष रहने के कारण विचलन की संभावना बढ़ जाती है। प्रुं विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की २५ वीं तारीख को संबंधित बैंक में संचिका राशि का रिकॉन्सिलियेशन कराना सुनिश्चित

में, जिसके फलस्वरूप सहायक रोकड़-बढ़ी का अन्तर्गोष एवं बैंक छाता का अन्तर्गोष में भिन्नता न हो। सामान्य रोकड़ बढ़ी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि नगद के रूप में मो० 20, 309/- रूपा राखा गया है, जो उचित नहीं है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे कि इतनी बड़ी राशि नगद के रूप में क्यों राखा गया है, जबकि नियमानुसार 500/- रूपा से अधिक नगद के रूप में नहीं रखना है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही किस तिथि को बैंक से सत्यापन कराया गया, उसके बारे में ही कोई जिक्र किया गया है। अतः प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे। साथ ही निम्नंकित प्रपत्र में बैंकवार विवरणों पर सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

क्र०	बैंक का नाम	छाता नं०	मद का नाम	रोकड़ बढ़ी के अनुसार अवशेष राशि	बैंक पासबुक के अनुसार अवशेष राशि	सत्यापन की तिथि	बैंक समाधान विवरण का अनुसार राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

1388 अिभ्रव :-

इस प्रुं में अिभ्रव के रूप में मो० 50, 323=10 रुपया द्वारा तीन सौ तेईस रुपये इस पैसों मात्र की राशि क्षिन्नित है, जिसका सामंजन नहीं हुआ है। निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणों में अिभ्रव का विषयवार/वर्षवार एवं शीर्षवार वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता है कि संबंधित अिभ्रव किस शीर्ष एवं किस वर्ष का है। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे। पूर्व में भी विकास कार्यों की बैठक में एवं जिला स्तरीय प्रधान सहायकों की बैठकों में यह निदेश दिया जा चुका है कि अिभ्रव का वर्षवार/शीर्षवार सूची तैयार करार समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करें परन्तु इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, परन्तु उनके द्वारा जा रहा है, जो छेद की बात है। प्रधान सहायक का यह मुख्य दायित्व है कि इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, परन्तु उनके द्वारा भी कोई अनुपालन नहीं किया गया। प्रुं विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे एवं प्रधान सहायक से भी स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य से अवगत करावे। प्रुं विकास पदाधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि अिभ्रव का वर्षवार/शीर्षवार सूची तैयार करार समायोजन की कार्यवाही अिलम्ब सुनिश्चित करें। यदि आवंटन की आवश्यकता हो तो पूर्ण अिलम्ब के साथ जिला कार्यालय से राशि की मांग की जाय ताकि सरकार से भी इस संबंध में आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सके। अिभ्रव के

के रूप में जो राशि दिखाई गयी है, वह अत्यधिक रूप से काफी बढ़ी हुई है। इसमें मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का सुजन हाल ही में किया गया है, इसमें इतनी बड़ी राशि अभिवृद्धि के रूप में रद्द कर दिया जा रहा है। उचित नहीं है। प्रश्न विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करें।

39 अस्थायी अग्रिम :-

सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अस्थायी अग्रिम के रूप में विभिन्न सरकारी सेवकों को कुल भी 8,37,056=50 आठ लाख सैतीस हजार छपन रुपये एवं पचास पैसे मात्र जुगतान किया गया है, जो अत्यधिक रूप से बढ़ी राशि है। अस्थायी अग्रिम से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। यह पंजी दिनांक 18-10-2001 से संघारित की गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 28-4-2003 तक भी 8,37,056=50 रुपये अस्थायी अग्रिम के रूप में है। प्रश्न विकास पदाधिकारी ने बताया कि अधिकांश अग्रिम प्रोत्साहन भत्ता वितरण करने एवं सुदृढावस्था पेशान वितरण करने हेतु विभिन्न सरकारी सेवकों को दी गयी है, जिसके समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिन सरकारी सेवकों द्वारा अग्रिम लिया होस कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रश्न विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन सरकारी सेवकों द्वारा अग्रिम लिया गया है, एवं उनका स्थानान्तरण अन्ध्र हो गया है, वे कहीं-न-कहीं इसी जिला के विभिन्न प्रश्न/अंशों में पदस्थित होंगे। उन्हें तुरंत नोटिस निर्गत कर राशि की वसूली की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करें। स्थानान्तरित कर्मचारियों के अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र में ली गई अग्रिम की राशि का जल्द अवश्य करें ताकि जहाँ भी उनका स्थानान्तरण हुआ होगा, संबंधित पदाधिकारी उसकी वसूली सुनिश्चित कर सके। यदि लिये गये राशि वापस नहीं की जाती है, तो संबंधित व्यक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाय। विभिन्न कोर्ट के तरकारी सेवकों को दी गयी अग्रिम की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	अग्रिम की तिथि	अग्रिम की राशि	प्रयोजन
1-	श्री रामरकबाल महतो	पंचायत सेवक	-	7,500=00	प्रोमोटावल्य निर्माण हेतु
2-	श्री कुण्डादेव सिंह	पंचायत सेवक	-	7,500=00	तद्व
3-	श्री महेन्द्र पासवान	पंचायत सेवक	-	1,00,475=00	राठवावा पेशानवितरण
4-	श्री इन्द्रजित रायण सिंह	राजस्व कर्मचारी	-	92,000=00	तद्व

लगातार... 16/-

प्रधान महत्त्वक

कनियार्थिभ्यंता

सहायक

रुओओकर्

प्रधानाध्यापक

८८

ਜੈਕੈ

तद्व

तद्वैव

तद्व

सैद्ध

तद्वत्

तद्व

पुष्पान्त्यादिक्ता

ਫੁਲਗਣਿਏਬਾਧੁਕ

तद्वत्

८५४

॥

तद्वत्

מת

ב
ת
ת

तद्व

१५५

10

॥ १ ॥

11

मुद्रित करने हेतु ।
 लेख सामग्री रुप हेतु २
 योजना कार्य पूर्ण करने हेतु ।
 पोषाहार परिवहन व्यय
 प्रोत्साहन भत्ता वितरण हेतु

ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼ ਜੈਦੈਸ਼

निरिक्षण हेतु प्रस्तुत सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आग्रस किस तिथि को दी गयी, इसका कोई निशान नहीं किया गया है। आधिकारिक आग्रस प्रोत्साहन भत्ता वितरण हेतु विभिन्न प्रधानाध्यापकों को दी गयी है, जिसका समापन नहीं हो पाया है। प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस निर्गत करें कि एक सप्ताह के अंदर अभिव्यक्ति जमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। यदि एक सप्ताह के अंदर संबंधित व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति जमा नहीं किया जाता है अथवा नगदस्वरूप राशि जमा नहीं की जाती है, तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। आग्रस की राशि लम्बी अवधि तक रक्कत वितरित अनियमितता एवं अस्थायी गहन का द्योतक है।

§ 40 § निष्कर्ष :-

प्रकृत कार्यालय, कलुआही का कार्य-कलाप विस्तृत ही संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है। संविधानों/पंक्तियों/अभिलेखों के संघारण में काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। दृष्टांत कलुआही प्रकृत एक नवसृजित प्रकृत है। नवसृजित प्रकृत के विकासात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करने हेतु नियमित प्रकृत विकास पदाधिकारी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस नवसृजित प्रकृत में प्रकृत कुशल पदाधिकारी, प्रकृत सांख्यिकी पदाधिकारी, भ्रष्टाचार पर राशि चिकित्सा पदाधिकारी, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक का पदस्थापन होना आवश्यक प्रतीत होता है। नवसृजित प्रकृत होने के कारण अत्यन्त मेहनत करने की आवश्यकता है। स्थापना उप समाहर्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि इस नवसृजित प्रकृत में पर्यवेक्षीय कोर्ट के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्राप्ति संविधान के माध्यम से प्राप्ति अधोदस्ताधरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

प्रकृत विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय-समय के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों का यदि अनुपालन किया जाता है, तो कार्यालय कार्य में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार आने की सम्भावना है।

हो/-डा. बी. गिराजेन्द्र,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

लगातार... 19/-

:: 19 ::

ज्ञाप संख्या / ८९०

।बिक्ता, मधुबनी, दिनांक ०५ अगस्त, 2003 ई०।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार की सेवा में सूचनार्थ अग्रसारित ।

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि उप बिक्ता आयुक्त, मधुबनी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी/स्थापना

उप समाहर्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रुष्ट बिक्ता पदाधिकारी, कलुआही को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

बिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।
२५/८/०३